I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB ROHTAK **Year (वर्ष):** 2016

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0023 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 08/07/2016 16:42 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	HARYANA DEVELOPMENT AND REGULATION OF URBAN AREAS ACT,1975	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Friday **Date from (दिनांक से):** 08/07/2016 **Date To (दिनांक तक):** 08/07/2016

Time Period (समय अवधि): Pahar 6 **Time From (समय से):** 15:10 hrs **Time To (समय तक):** 15:10 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/07/2016 **Time (समय):** 15:10 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 012 **Date and Time (दिनांक और समय):** 08/07/2016 14:58 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH, 75 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): PANIPAT,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): PANIPAT CITY

District (State) (जिला (राज्य)): PANIPAT (HARYANA)

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Sushil Kumar

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS SVB Rohtak, ROHTAK, ROHTAKSTATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS SVB Rohtak, ROHTAK, ROHTAK, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9050029991

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	जीवन गर्ग		Father's Name: बैजनाथ	
2	हरविलाश		Father's Name: रामचन्द	
3	संदीप		Father's Name: दुलीचन्द कालोनाईजर	

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में श्री मान जी तहरीर निम्न प्रकार से है कि यह जांच क्रमांक न0 4 दिनांक 2.4.2013 पानीपत मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के आदेश क्रमांक 52/14/2013-1 चौकसी-11 दिनांक 28.3.2013 दर्ज की जाकर महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला के पृष्ठ क्रमांक 5310/आई -1/रा0चौ0ब्यूरो दिनांक 4.4.13 अनुसार पडताल हेतु इस कार्यालय के डायरी न0 874 दिनांक 11.04.2013 के अनुसार प्राप्त हुई थी। जो आसूचना रिपोर्ट के आधार पर जांच की जानी थी। जांच पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक की देख रेख में राजीव कुमार निरीक्षक रा0चौ0ब्यूरो, सोनीपत द्वारा की गई। जिसमें आरोप था कि विराट नगर (मॉडल टाउन) एरिया पानीपत के साथ लगती कृषि योग्य भूमि करीब 10-12 एकड जिसकी मलकियत श्री वेद भारती निवासी पानीपत के नाम से है। भिवानी एस्टेट व अन्य कलोनाइजर मिलकर इस भुमि पर अवैध कालोनी छोटे-छोटे प्लाट काटकर करीब 30,000 प्रति वर्ग गज के हिसाब से फुल पैमेंट एर्ग्रीरमेंट पर बेच रहे है जिसकी कोई रजिस्ट्री नही हो रही। अधिकारी/कर्मचारी नगर निगम पानीपत के साथ मिलीभगत करके अवैध रूप से बिना सी0एल0यू0/एन0ओ0सी (CLU/NOC) लिये कालोनी काट रहे है। जिससे सरकार को हर महिने लाखो का राजस्व घाटा हेा रहा है। जांच के दोरान पाया गया कि विराट नगर पानीपत के साथ लगती जमीन का क्षेत्र अतुल पुत्र प्रेमसिंह 19 बिघे 13 बिस्वे पैत्रक जमीन का मालिक पाया गया व उनकी पत्नी श्री मती बाला देवी को वसीयत न0 426 दिनांक 2.11.04 व इन्तकाल न0 10677 दिनांक 2.3.2005 अनुसार 16 बीघे 10 बिस्वे 5 बिस्वांशी जमीन विरासत के रूप में प्राप्त होनी पाई गई है। उपरोक्त जमीन में से हिमांशु व पार्थ पुत्रान अतुल को अपने पिताजी अतुल की मृत्यु के बाद 19 बीघे 13 बिस्वे कृषि योग्य भूमि समभाग में प्राप्त हुई और बाला विधवा अतुल की मृत्यु के बाद हिमांशु व पार्थ को अपनी माता श्री मती बाला देवी से विरासत मे वसीयत न0 708 दिनांक 7.2.13 व इन्तकाल न0 23684 दिनांक 6.3.2013 अनुसार 5 बीघे 7 बिस्वे 6 बिस्वांशी कृषि योग्य भूमि समभाग मे प्राप्त होनी पाई गई। इस प्रकार हिमाशु व पार्थ को अपने माता जी श्री मति बाला देवी पिता जी श्री अतुल चावला से 25 बीघे कृषि योग्य भूमि विरासत के रूप मे प्राप्त होनी पाई गई, जिसमें से श्री मति बाला विधवा अतुल, हिमाशु पुत्र अतुल व पार्थ पुत्र अतुल द्वारा रजि0 दिनांक 23.07.2009 अनुसार 4 बीघे 16 बीस्वे कृषि योग्य भूमि हरबिलाश पुत्र रामचन्द व जीवन पुत्र वैजनाथ को समभाग में बेंची जानी पाई गई, इसी प्रकार श्रीमति बाला विधवा अतुल, हिमाशु पुत्र अतुल व पार्थ पुत्र अतुल द्वारा दिनांक 30.08.2007 को 12 बीघे 1 बिस्वे कृषि योग्य भूमि संदीप पुत्र दुलीचन्द को बेची जानी पाई गई हिमाशु चावला द्वारा 6 बिस्वे कृषि योग्य भूमि बिल्डकोन कम्पनी को दिनांक 21.07.2011 को बेची जानी पाई गई है। श्रीमति बाला विधवा अतुल, हिमाशु पुत्र अतुल व पार्थ पुत्र अतुल द्वारा जो उपरोक्त जमीन बेची गई है वह कृषि व पार्थ पुत्रान अतुल द्वारा जो उपरोक्त जमीन बेची जानी नही पाई गई। इस प्रकार श्रीमति बाला विधवा अतुल, हिमाशु पुत्र अतुल व पार्थ पुत्र अतुल कोई कॉलोनी काटी जानी नही पाई गई और न ही किसी राजस्व की चोरी की जानी पाई गई इस समय हिमांशु पुत्र अतुल 2 बीघे 16 बिस्वे 16 बिस्वांशी व पार्थ पुत्र अतुल 4 बीघे 16 बिस्वे 16 बिस्वांशी कृषि योग्य भूमि के मालिक पाये गये। हरबिलाश पुत्र रामचन्द व जीवन पुत्र वैजनाथ द्वारा रजि0 न0 2697 दि0 23.07.2009 अनुसार 4 बीघे 16

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

बिस्वे कृषि योग्य भूमि समभाग मे खरीद की थी। उसमे से जीवन गर्ग पुत्र वैजनाथ द्वारा वर्ष 2010 मे रजि0 न08128 दि0 03.12.10 अनुसार 100 वर्ग गज जमीन श्रीमति सन्तोष गोयल पत्नि अशोक कुमार व रजि0 न0 6647 दि0 20.10.10 अनुसार 100 वर्ग गज जमीन श्रीमती मधु मदान पत्नि मनीष मदान के नाम बेची जानी पाई गई, इसी प्रकार हरिबिलाश पुत्र रामचन्द रजि0 न0 1903 दि0 01.06.11 अनुसार 110 वर्ग गज जमीन अशोक पुत्र निहाल सिहं को व रजि0 596 दि0 26.04.11 अनुसार 112 वर्ग गज जमीन सुषमा सहगल पत्नि अनिल सहगल को बेची जानी पाई गई। जो इस प्रकार उपरोक्त द्वारा वर्ष 2010-2011 में दो-2 प्लाट बेचे जाने पाए गए, पिछले दो वर्ष के दौरान बकाया जमीन में से इनके द्वारा कोई जमीन बेची जानी नही पाई गई। इसी प्रकार संदीप पुत्र दुलीचन्द द्वारा जो रजि0 न0 7746 दि0 30.08.07 अनुसार 12 बीघे 1 बिस्वे कृषि योग्य भूमि खरीद की गई थी। उसमें से रजि0 न0 9186 दि0 29.12.10 अनुसार 100 वर्ग गज जमीन श्रीमति राजेश्वरी पत्नि पवन कुमार को इसी प्रकार रजि0 न0 10216 दि0 24.01.11 अनुसार 100 वर्ग गज जमीन वरूण पुत्र सुभाष चन्द को, रजि0 न0 11163 दि0 14.02.11 अनुसार 200 वर्ग गज जमीन श्रीमती पुष्पा पत्नि श्री प्रेम को रजि0 न0 2919 दि0 28.06.11 अनुसार 100 वर्ग गज जमीन सन्तोष पत्नि सुभाष को रजि0 न0 5276 दि0 14.10.11 अनुसार 100 वर्ग गज जमीन नीनानाथ मैमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट पानीपत को रजि0 न0 7423 दि0 15.11.10 अनुसार 100 वर्ग गज जमीन सुरेश कुमारी पत्नि कैलाश नाथ को रजि0 न0 1509 दिनांक 19.05.11 अनुसार 100 वर्ग गज जमीन श्रीमती रितु रानी पत्नि श्री राजेश कुमार को रजि0 न0 2142 दि0 08.06.11 अनुसार 225 वर्ग गज जमीन रितु खुराना पत्नि श्री सुनील खुराना को रजि0 न0 425 दि0 21.04.09 अनुसार 100 वर्ग गज जमीन श्रीमति कमलेश पत्नि वजीर आदि को रजि0 न0 426 दि0 21.04.09 अनुसार 100 वर्ग गज जमीन श्रीमती सुशीला पत्नि श्री जगबीर सिंह को रजि0 न0 10361 दि0 28.01.11 अनुसार 100 वर्ग गज जमीन श्रीमति कृष्णा पत्नि श्री देशराज नारंग को रजि0 न0 6558 दि0 30.01.13 अनुसार 225 वर्ग गज जमीन श्रीमति रितु खुराना पत्नि श्री सुनील खुराना को बेची जानी पाई गई व रजि0 न0 3444 दिनांक 21.07.11 अनुसार 300 वर्ग गज जमीन चावला बिल्डकोन कम्पनी में बतौर लेखाकार रहते हुए खरीद की जानी पाई गई। जहां तक उक्त कालोनाईजर द्वारा फुल पैमेन्ट एग्रीमैन्ट के आधार पर छोटे-2 प्लाटों के रूप में जमीन बेचे जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध मे कोई रिकार्ड/साक्ष्य प्राप्त नही किया जा सका क्योकि सरकारी कार्यालय में फुल पैमेन्ट एग्रीमैन्ट का कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है। इस क्षेत्र को जांच अधिकारी द्वारा चैक करने से पाया गया कि छोटे-2 प्लाटों की नीव रखी जानी पाई गई है। संदीप पुत्र दुलीचन्द कालोनाईजर द्वारा बिना सी0एल0यु0 प्राप्त किए व बिना लाईसैन्स प्राप्त किए छोटे-2 प्लाट काटे जाने पाये गये। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि वितायुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार शहरी निकाय की नोटिफिकेशन न0 31/1/95-6-सी-1 दिनांक 29.05.95 अनुसार विराट नगर अप्रुवड ऐरिया पाया गया है। अतः जीवन गर्ग हरविलास द्वारा खरीद की गई 4 बिघे 4 बिस्वे जमीन मे से दो - दो प्लाट व संदीप द्वारा खरीद की गई 12 बिघे एक बिस्वे में 13 प्लाटों की रजिस्ट्री क्रेताओं के नाम करवाई जानी पाई गई, बाकि जमीन के रिहायशी प्लाट काटे हुये है। लेकिन इनकी रजिस्ट्री नही करवाई गई जबकि इन जमीन मालिकों द्वारा लाईसैन्स लेकर ही रिहायशी प्लाट काटने चाहिए थे। अतः जिसके लिए जीवन गर्ग पुत्र बैजनाथ व हरविलाश पुत्र रामचन्द व दुलीचन्द कालोनाईजर वासी मकान न0 141, वास नगर पानीपत के विरूध हरियाणा अर्बन एक्ट 1975 की धारा 7 (1) (2) (3) का अभियोग दर्ज करने का सुझाव दिया गया था। जो जांच पूर्ण करके महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला के माध्यम से मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजी गई थी। जिन्होने अपने आदेश क्रमांक 52/14/13- I चौकसी-II दिनांक 20.04.16 व महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला पृष्ठांक 5213 दिनांक 28.04.16 द्वारा उपरोक्त आरोपियान के विरूद्ध हरियाणा अर्बन एक्ट 1975 की धारा 7 (1) (2) (3) का अभियोग दर्ज करने के आदेश दिये गये। जो आदेश प्राप्त होने पर मुकदमा बा जुर्म दर्ज उपरोक्त आरोपियान के विरूद्ध दर्ज रजिस्टर किया जा कर अफसरान बाला को बजरिया टेलीफोन व ई-मेल द्वारा सूचित किया जाये तथा माननीय न्यायलय को भी सूचना भिजवाई जावे, मुकदमा हजा मे दौरान तफतीश किसी अन्य संलिप्ता पाई जाये तो उसे भी शामिल तफतीश किया जाये। आगामी तफतीश हेतू अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करवा कर नकल मिशल पुलिस व असल तहरीर मय समस्त जांच रिकार्ड अनुसंधान अधिकारी के हवाले किया जाये।Sd Sushil Kumar निरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक मण्डल, रोहतक। अज थाना हस्ब आमदा तहरीर पर मु0 बा जुर्म दर्ज रजिस्टर करके FIR की प्रतियां तैयार कि गई। अफसरान बाला को बजरियां स्पेशल मैसेन्जर/ Mail द्वारा सूचना दी गई व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मय सम्बन्धित जाँच रिकार्ड SP साहब द्वारा नियुक्त I/O नि0 नरेन्द्र SVB UNIT PANIPAT के हवाले किया गया। कम्प्यूटर मे हरियाणा अर्बन एक्ट 1975 की धारा 7 (1) (2) (3) नही होने पर Fir की प्रति मे धारा 7 (1) (2) (3) हाथ से लिखी गई। उपरोक्त मुकदमा निरीक्षक सुशील कुमार की I.D. पर E/SI सुभाष चन्द्र नं0 62/GRP की हाजिरी में दर्ज रजिस्टर किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Narender **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 1 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम):

Rank (पद):

No. (सं.):

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					**Is Proxitted:** Yes
2	Male					**Is Proxitted:** Yes
3	Male					**Is Proxitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)